COURT FEE कोर्ट फी 20रु Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(45)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक / 2015–2016 / निगरानी निग–861–पीबीआर–1

दिनांक 11-3-16 को श्री पी.एस. बघेल अभि0 द्वारा प्रस्तुत। 11.3.16 SO

1– सुमेर सिंह, आयु–35 वर्ष
2– पान सिंह, आयु–25 वर्ष
पुत्रगण लायकराम, निवासीगण– ग्राम खेड़ी परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0

.........निगरानीकर्तागण

बनाम

1– दाताराम पुत्र चंदन सिंह बघेल आयु– वर्ष, निवासी–ग्राम खेड़ी परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0
2– म0प्र0 शासन

.............रेस्पो0

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09/02/2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त सिरसौद परगना व जिला ग्वालियर जो उनके न्यायालय के प्र.क. 2/2015–2016 अ–70 दाताराम बनाम सुमेर सिंह में पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित संक्षिप्त तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:–

//निगरानी के संक्षिप्त तथ्य//

1– यहकि, रेस्पो0 कमांक–1 दाताराम ने जनसुनवाई में जिलाधीश महोदय ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन दिनांक 08/12/2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 के स्वत्व,स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 275, एवं 297 स्थित ग्राम खेड़ी तहसील व जिला ग्वालियर में है, जो उसने पूर्व स्वामी श्रीमती शांति बाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01/06/2015 कय कर आधिपत्य प्राप्त किया। रेवेन्यू रिकार्ड में नाम

1/55 04/03/2016 महेश सिंह कुशवाह शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 861/पीबीआर/16

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री पी.एस. बघेल, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अपर तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	